



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या.: प्लेक्स/ सीआईआर /599/अनुस्मारक

04/09/2024

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: अनुस्मारक- यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन (ईयूडीआर) के तहत यूरोपीय संघ के निर्यातकों के लिए अनुपालन जांच बिंदु- विनियम।**

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वनों की कटाई पर यूरोपीय संघ का नया विनियमन, यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन (ईयूडीआर), जो 30 दिसंबर, 2024 को लागू होगा। इस विनियमन का उद्देश्य यूरोपीय संघ में आयातित वस्तुओं पर सख्त अनुपालन आवश्यकताओं को लागू करके अंतर्राष्ट्रीय वनों की कटाई को रोकना है।

भारतीय निर्यातकों के लिए ईयूडीआर का पालन करने के लिए आवश्यक अनुपालन जांच बिंदुओं को अनुलग्नक के रूप में संलग्न दस्तावेज़ में रेखांकित किया गया है। आगामी कार्यान्वयन तिथि के मद्देनजर, सभी संबंधित हितधारकों के लिए इन आवश्यकताओं से खुद को परिचित करना महत्वपूर्ण है ताकि सुचारू संक्रमण और निरंतर बाजार पहुंच सुनिश्चित हो सके।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक - व्यापार और नीति

**प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद**